

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
इन्द्रावती भवन अटल नगर जिला-रायपुर

विज्ञापन क्रमांक / 2023-24

दिनांक

पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के रिक्त 440 पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी। पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवारों से, ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदनाम - पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)

श्रेणी - तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित)

वेतनमान - 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 /- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)

(1) रिक्त पदों का विवरण :-

thejobsyogi.com

1.1 खुली सीधी भर्ती :-

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	दिव्यांगजन		
1	2	3	4		
पर्यवेक्षक, 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 /- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)			'क' समूह (I.V)	'ख' समूह (III)	'ग' समूह (OA, OI)
	अना.	92	05	05	05
	अ.ज.जा.	71			
	अ.जा.	26			
	अ.पि.व.	31			
	योग	220	05	05	05

1.2 परिसीमित सीधी भर्ती :-

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	दिव्यांगजन		
1	2	3	4		
पर्यवेक्षक, 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 /- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)			'क' समूह (I.V)	'ख' समूह (III)	'ग' समूह (OA, OI)
	अना.	92	05	05	05
	अ.ज.जा.	70			
	अ.जा.	27			
	अ.पि.व.	31			
	योग	220	05	05	05

thejobsyogi.com

दिव्यांगजनों का स्पष्टीकरण –

1. 'क' समूह – अंध एवं निम्न दृष्टि में केवल LV (Low Vision) दृष्टिबाधित शामिल है।
2. 'ख' समूह – बाधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास में केवल HH (Hearing Handicapped) श्रवण बाधित दिव्यांग शामिल है।
3. 'ग' समूह – चलन निःशक्तता में केवल OA या OL (One Arm or One Leg Handicapped) एक हाथ या एक पैर से बाधित दिव्यांग शामिल है।

टीप :- इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के दिव्यांगजन को दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी।

(2) पद संबंधी अन्य जानकारी :-

thejobsyogi.com

- 2.1 पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- 2.2 खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची जारी तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 320 पदों के अतिरिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी जाती है तो अनुमति दी गई पदों की संख्या तक इस प्रावीण्य सूची से नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही मान्य अवधि तक की जा सकेगी।
- 2.3 खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रावीण्य सूची के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2.4 परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 05 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये है।
- 2.5 नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ मान. उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 2.6 पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि है।

(3) पात्रता की शर्तें :-

3.1 खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-

- 3.1.1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि।
- 3.1.2. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिये अर्थात् यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं होगी।

thejobsyogi.com

3.2 परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के लिये शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी अर्हताएँ :-

3.2.1. 10+2 पद्धति से बारहवी कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।

3.2.2. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक को अवश्य होना चाहिये अर्थात् यदि कोई आवेदिका इस वर्ष की हायर सेकेण्डरी/बारहवीं की परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेण्डरी/(10+2) बारहवी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं होगी।

3.2.3. 01 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष तक की सतत् सेवा छ.ग. राज्य के किसी शासकीय आं.बा. केन्द्र (बाल विकास परियोजना-ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल करते हुये) में पूर्ण करते हुए चयन उपरान्त अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हो।

टीप:- विभागान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों (ओरछा परियोजना सहित) के ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 01 जनवरी 2023 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और खुली सीधी भर्ती संबंधी शैक्षणिक अर्हता एवं आयु इत्यादि संबंधी मापदंडों को पूर्ण करती हो तो, खुली सीधी भर्ती परीक्षा तथा परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों के लिए पात्र होंगी। किन्तु जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 01 जनवरी 2023 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करती है किन्तु खुली सीधी भर्ती संबंधी शैक्षणिक अर्हता एवं आयु संबंधी मापदण्ड को पूरा करती हो तो केवल खुली सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगी।

thejobsyogi.com

3.3 आयु सीमा

- खुली सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे :- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि विभिन्न संवर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- परिसीमित सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 से की जावेगी।

4. नियुक्ति की अन्य शर्तें :-

- 4.1 आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- 4.2 केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- 4.3 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

(9) खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- पूर्णांक-100, समयावधि-02 घंटा, प्रश्नों की संख्या-100
- प्रश्नों की प्रकृति - वस्तुनिष्ठ

भाग-01 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम - 20 अंक

1. महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) आंगनबाड़ी की सेवाएँ, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के मापदंड।
2. पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है।
3. कुपोषण, वृद्धि निगरानी एवं वजन त्र्योहार।
4. शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण (रोग प्रतिरक्षण)।
5. बच्चों को होने वाली बीमारियों एवं पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियों।
6. विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ-
 - 6.1 मिशन शक्ति - मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन), शक्ति सदन एवं सखी निवास।
मिशन शक्ति के संबल घटक अंतर्गत सखी (वन स्टॉप सेंटर), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्प लाईन।
 - 6.2 मिशन वात्सल्य (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना) की योजनाएँ, कार्यक्रम एवं संस्थाएँ।
 - 6.3 पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम।
7. विभाग के राज्य मद की योजनाएँ- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई), सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन।
8. महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिये कानून 2005, बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 संशोधन-2022।

भाग-02 सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान -

40 अंक

1. विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि।

2. तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि।
3. छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास सामान्य जानकारीयों, घटनाएँ, खेल, साहित्य।
4. भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन-भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास।
5. अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम।
6. भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र।
7. भारत की अर्थव्यवस्था – वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार।
8. भूगोल- भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल।
9. सामान्य विज्ञान- विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग-03 सामान्य हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान-

15 अंक

1. शब्द रचना।
2. शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
3. अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द।
4. मुहावरे एवं लोकोक्ति।
5. स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म।
6. लिंग, वचन एवं काल।
7. संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग।
8. शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य।

भाग-04 GENERAL ENGLISH -

10 अंक

1. Numbers
2. Gender
3. Noun, Pronoun, Adjectives, Verb
4. Active and Passive Voice
5. Tense
6. Antonyms, Synonyms
7. One word substitution
8. Spellings

thejobsyogi.com

भाग-05 सामान्य गणित -

15 अंक

1. दशमिक प्रणाली।
2. समसंख्या एवं विषम संख्या।
3. गुणनफल एवं भागफल।
4. अनुपात एवं समानुपात।
5. औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज।
6. लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल आंकलन।

thejobsyogi.com

(10) परिसीमित सीधी भर्ती के लिये आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

- पूर्णांक-100, समयावधि-02 घंटा, प्रश्नों की संख्या-100
- प्रश्नों की प्रकृति - वस्तुनिष्ठ

भाग-01 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम - 60 अंक

1. महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) आंगनबाड़ी की सेवाएँ, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के मापदंड।
2. पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है।
3. कुपोषण, वृद्धि निगरानी एवं वजन त्रौहार।
4. शिशु व मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण (रोग प्रतिरक्षण)।
5. बच्चों को होने वाली बीमारियाँ एवं पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियाँ।
6. विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ-
 - 6.1 मिशन शक्ति - मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन), शक्ति सदन एवं सखी निवास।
मिशन शक्ति के संबल घटक अंतर्गत सखी (वन स्टॉप सेंटर), बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना, महिला हेल्प लाईन।
 - 6.2 मिशन वात्सल्य (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना) की योजनाएँ, कार्यक्रम एवं संस्थाएँ।
 - 6.3 पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम।
7. विभाग के राज्य मद की योजनाएँ- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखरेख शिक्षा (ई.सी.सी.ई), सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन।
8. महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिये कानून 2005, बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 संशोधन-2022।

भाग-02 सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान -

15 अंक

1. विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि।
2. तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि।

3. छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास सामान्य जानकारीयों, घटनाएँ, खेल, साहित्य।
4. भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन-भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास।
5. अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम।
6. भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, सूचना का अधिकार, लोकतंत्र।
7. भारत की अर्थव्यवस्था – वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंक, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार।
8. भूगोल- भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल।
9. सामान्य विज्ञान- विज्ञान के महत्वपूर्ण अविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग-03 सामान्य हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान –

10 अंक

1. शब्द रचना।
2. शब्द प्रकार, तत्सम, तदभव, देशज, विदेशी।
3. अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द।
4. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
5. स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्याय शब्द युग्म।
6. लिंग, वचन एवं काल।
7. संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग।
8. शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य।

भाग-04 GENERAL ENGLISH –

05 अंक

1. Numbers
2. Gender
3. Pronoun, Adjectives, Verb
4. Active and Passive Voice
5. Tense
6. Antonyms, Synonyms
7. One word substitution
8. Spellings

thejobsyogi.com

भाग-05 सामान्य गणित –

10 अंक

1. समसंख्या एवं विषम संख्या।
2. गुणनफल एवं भागफल।
3. अनुपात एवं समानुपात।
4. औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज।
5. लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल आंकलन।

thejobsyogi.com



संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)